भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
व्यय विभाग

लोक सभा

मौखिक प्रश्न संख्या – *3

सोमवार, 22 जुलाई, 2024/31 आषाढ़, 1946 (शक)

केंद्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं हेतु संवितरित धनराशि

*3. श्री डग्गुमल्ला प्रसादा राव
श्री केसिनेनी शिवनाथ

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विगत पांच वर्षों के दौरान केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए आन्ध्र प्रदेश राज्य को संवितरित की गई निधियों का ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या राज्य ने विगत पांच वर्षों के दौरान इन योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए समतुल्य राशि का अंशदान दिया है;
(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और विगत पांच वर्षों के दौरान राज्य सरकार द्वारा वर्ष-वार वर्गीकृत रूप से अंशदान की गई निधियों का ब्यौरा क्या है;
(घ) क्या राज्य सरकार ने इन योजनाओं के अंतर्गत उपयोग की गई निधियों के लिए उपयोग प्रमाण-पत्र प्रस्तुत कर दिए हैं;
(ङ) यदि हां, तो विगत पांच वर्षों के दौरान तत्संबंधी वर्गीकृत वर्ष-वार ब्यौरा क्या है; और
(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
वित्त मंत्री (श्रीमती निर्मला सीतारामन)

(क) से (च): एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

*****

श्री डग्गुमल्ला प्रसादा राव तथा श्री केसिनेनी शिवनाथ द्वारा ''केंद्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं हेतु संवितरित धनराशि'' से संबंधित दिनांक 22 जुलाई, 2024 को पूछे गए लोक सभा के मौखिक प्रश्न संख्या *3 के भाग (क) से (च) के उत्तर में संदर्भित विवरण

(क) से (च): वित्त मंत्रालय विभिन्न मंत्रालयों/विभागों को केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं (सीएसएस) सहित प्रत्येक योजना/कार्यक्रम के लिए, बजटीय प्रक्रिया के माध्यम से निधियों का आवंटन करता है। तत्पश्चात्, संबंधित मंत्रालय/विभाग संबंधित योजनाओं के दिशानिर्देशों के अनुसार राज्य सरकारों को सीएसएस निधियों का केन्द्रीय हिस्सा जारी करता है। राज्यों को अनुवर्ती धनराशि, सामान्य वित्तीय नियमावली (जीएफआर) के अनुसार पहले जारी की गई निधियों के लिए उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने के आधार पर जारी की जाती है। जो निधियां अप्रयुक्त रह जाती हैं, उन्हें अगले वित्तीय वर्ष के दौरान संदेय सहायता अनुदान के साथ समायोजित कर दिया जाता है। आंध्र प्रदेश राज्य को वर्ष 2019-20 से लेकर 2023-24 तक के पिछले पांच वर्षों में सीएसएस के तहत जारी की गई निधियों का वर्ष-वार विवरण इस प्रकार है:

(करोड़ रुपए में)

2019-20	**2020-21**	**2021-22**	**2022-23**	**2023-24**
11,003.60	12,928.69	9,696.98	16,114.94	13,313.77

स्रोत: पीएफएमएस रिपोर्टें – परिणामी लेखांकन समायोजन को छोड़कर कुल जारी की गई धनराशि

राज्य के समतुल्य हिस्से के अंशदान से संबंधित समेकित सूचना का रखरखाव 2020-21 के बाद से सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) में किया जाता है। आंध्र प्रदेश राज्य द्वारा सीएसएस के समतुल्य हिस्से के अंशदान का वर्ष-वार विवरण निम्नानुसार उपलब्ध कराया गया है:

(करोड़ रुपए में)

2021-22	**2022-23**	**2023-24**
12,167.68*	6,582.58	8,023.13

**: राज्य के हिस्से के अंशदान में पिछले वित्तीय वर्षों का बकाया समतुल्य राज्य का हिस्सा शामिल हो सकता है।*

*****